रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 147
No. 160] DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012/BHADRA 30, 1934 [N.C.T.D. No. 147

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

### अधिसूचना

दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

**फा. सं. 13(08)/2012-क. सं. एवं भाषा/2025-32.**—इस विभाग की दिनांक 23-5-2012 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में माननीया मुख्यमंत्री (अध्यक्ष, संस्कृत अकादमी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद्द्वारा डॉ. (श्रीमती) शशीप्रभा कुमार को डॉ. श्रीकृष्ण सेमवाल के स्थान पर संस्कृत अकादमी की गवर्निंग बॉडी का उपाध्यक्ष मनोनीत करती हैं।

राजेश सचदेवा, उप-सचिव

## ART, CULTURE AND LANGUAGE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 21st September, 2012

**F. No. 13(8)/2012/ACL/2025-32.**—In continuation of this Department's even No. notification dated 23-5-2012, the Hon'ble Chief Minister of Delhi (Chairperson, Sanskrit Academy), National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate Dr. (Ms.) Shashiprabha Kumar as Vice Chairman of the Governing Body of Sanskrit Academy in place of Dr. Shrikrishna Semwal.

RAJESH SACHDEVA, Dy. Secy.

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

**फा. सं. 61(267)/सीडब्ल्यूसी कौम/डीडी( सीपीयू )/डीडब्ल्यूसीडी/2010/18511-537.**—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2009 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) संशोधन नियम, 2012 है ।

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियम 2009 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के नियम 45 में, खंड ( त ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(त ) ऐसे बालक, जो एल्कोहल या अन्य नशीले द्रव्यों के व्यसनी हैं जिससे व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन होता है, उन व्यसनियों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्र या मानसिक रूप से रूग्ण व्यकित (स्वापक ओषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के व्यसनी व्यक्ति सहित) के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित उन्हीं केन्द्रों में ऐसे किशोर या बालक कें अंतरंग रोगी उपचार हेतु अपेक्षित अवधि के लिए भेजा जाएगा "

3 मूल नियम के नियम 46 में, उप–नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात :–

"(10) किसी भी किशोर या बालक के प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थय विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान के बिना मनोरोग की समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी ।"

4 मूल नियम के नियम 61 में, –

( क ) उप–नियम ( 1 ) में, "मानसिक स्वास्थय समस्या से पीडित पाया जाता है, जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता हो या वह किशोर या बालक किसी स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ का आदी पाया जाता है" शब्दों के स्थान पर "मनोरोग समस्याओं से पीडित पाया जाता है, जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता हो, या वह एल्कोहल या अन्य मादक द्रव्यों का आदी पाया जाता है जिसके लिए व्यकित में व्यवहार परिवर्तन होता है ।" शब्द रखें जाएंगे ;

( ख ) उप–नियम ( 2 ) में, "मानसिक स्वास्थ्य " शब्दों के स्थान पर "मनोरोग" शब्द रखा जाएगा ।

( ग ) उप–नियम ( 3 ) का लोप किया जाएगा ;

( घ ) उप–नियम ( 4 ) में, "और संक्रमण" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव काले, निदेशक

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st September, 2012

**F. No. 61(267)/CWC.Comm./DD(CPU)/DWCD/2010/18511-537.**—In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to amend the Delhi Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2009, namely :—

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Delhi Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. In the Delhi Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2009, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 45, for clause (p), the following clause shall be substituted, namely :-

"(p) refer such children who are addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioural changes in a person, to an Integrated Rehabilitation Centre for Addicts or similar centres maintained by the State Government for mentally ill persons (including the persons addicted to any narcotic drug or psychotropic substance) for the period required for in-patient treatment of such juvenile or child."

3. In rule 46 of the principal rules, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(10) No juvenile or child shall be administered medication for psychiatric problems without a psychological evaluation and diagnosis by a trained medical health professional."

4. In rule 61 of the principal rules, -

(a) in sub-rule (1), for the words "mental health problems requiring prolonged medical treatment, or is found addicted to a narcotic drug or psychotropic substance", the words "psychiatric problems requiring prolonged medical treatment, or is found addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioural changes in person " shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words "mental health" the word "psychiatric", shall be substituted;

(c) sub-rule (3) shall be omitted;

(d) in sub-rule (4), the words "and infection" shall be omitted.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Director

**गृह पुलिस (1)/स्थापना विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

**फा. सं. 16/5/2010/गृह पुलिस-I/3323 से 3326.**—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ | (1) | इस नियमावली को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा । |
| | | (2) | यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी । |
| 2. | नियम 14 का संशोधन | | दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थाईकरण) नियमावली, 1980 के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् |

अयोग्य सिपाहियों की एक सूची होगी जो अपने उत्कृष्ट सेवा अभिलेख, दीर्घकालीन सेवा तथा अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर प्रधान सिपाही की कोटि/रैंक में पदोन्नति के लिए उपयुक्त माने गए हैं, जो सिपाही 40 वर्ष की आयु तक 'क' सूची परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं, यदि अन्यथा उपयुक्त पाए गए, तो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सूची में डाले जाएंगे । विभागीय पदोन्नति समिति सेवा अभिलेख पर आधारित वरिष्ठता कम एवं उपयुक्तता के आधार पर इस सूची के लिये सिपाहियों का चयन करेगी । सूची 'ग' (कार्यकारी) पर अयोग्य / अधिक–वय का योग्य (लोअर विद्यालय पाठ्यक्रम) सिपाहियों के साथ 1:2 का अनुपात होगा । इसे प्राप्त करने के लिये प्रधान सिपाही की रैंक में हो रही प्रत्येक तीसरी रिक्ति 'ग' सूची में से भरी जाएगी । तथापि, 'ग' सूची पर उनका कोई नाम न होने की स्थिति में प्रधान सिपाहियों की सभी रिक्तियां 'ख' सूची से भरी जाएंगी । चयनित सिपाहियों को सिविल सर्जन द्वारा उनकी चिकित्सा उपयुक्तता के आधार पर लोअर विद्यालय पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. पी. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव (गृह)

**HOME POLICE (I)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st September, 2012

**F. No. 16/5/2010/HP-I/Estt./3323 to 3326.**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rule further to amend the Delhi Policc (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, namely :—

| | |
|---|---|
| 1. Short title and Commencement | (1) This Rule may be called the Delhi Police (Promotion & Confirmation) (Amendment) Rules, 2012 ; |
| | (2) This shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette. |
| 2. Amendment of Rule 14 | In the Delhi Police ( Promotion & Confirmation) Rules, 1980 in Rule 14, the following shall be substituted, namely |

Shall be a list of unqualified Constables who for the reasons of their good service record, long service and good health are considered suitable for promotion to the rank of Head Constable. Constable who are unable to pass list 'A' test up to 40 years of age, if otherwise found suitable, shall be admitted to the list by the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall select Constables for this list on the basis of seniority-cum- suitability, based on Service Record. The ratio of Promotion of unqualified/ overage men on list 'C' (Executive) vis-à-vis qualified (Lower School Course) Constables shall be 1:2. To achieve this every 3rd vacancy occurring in the rank of Head Constables shall be filled up from list 'C'. However, in case of their being no name on list 'C' all vacancies of Head Constables shall be filled up from list 'B'. Selected Constables will be sent for Lower School Course, subject to their medical fitness by the Civil Surgeon.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

J. P. AGRAWAL, Addl. Secy. (Home)

3619 DG/12-2

**समाज कल्याण विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

**फा. सं. 82/265/एडी-III/अमेंडमेंट-पीडब्ल्यूडी एक्ट/डीएसडब्ल्यू/2009/11813-823.**—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. (अ), फाइल सं. यू. 11033/3/96-यूटीएल के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, नियमावली, 2001 का संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ .– (1) इस नियमों को दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, नियमावली, 2012 कहा जा सकेगा ।

   (2) ये दिनांक 01/07/2012 से प्रभावी होंगे ।

2. नियम 11 का संशोधन.– दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, नियमावली, 2001 के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

   "11. दैनिक भत्ता :– राज्य समन्वय समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य समन्वय समिति की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन के लिये एक हज़ार रूपये के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।"

3. नियम 22 का संशोधन.– दिल्ली निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी, नियमावली, 2001 के नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   "22. दैनिक भत्ता :– राज्य कार्यकारी समिति के गैर सरकारी सदस्यों को राज्य कार्यकारी समिति की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन के लिये एक हज़ार रूपये के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अचला सिंह, निदेशक

## SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 21st September, 2012

**F. No. 82/265/AD-III/Amendment-PWD Act/DSW/2009/11813-823.**—In exercise of the powers conferred by Section 73 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. (E), File No. U-11033/3/96-UTL, dated the 5th December, 1997, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2001, namely :—

1. **Short title and Commencement.** – (1) These rules may be called The Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Rules,2012

   (2) They shall come into force w.e.f. 01/07/2012 .

2. Amendment of rule 11.- In the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules 2001, for rule 11 the following shall be substituted, namely:-

   "11. Daily allowance: - Non-Official members of the State Coordination Committee shall be paid an allowance of one thousand rupees ~~for~~ each day of the actual meetings of the State Coordination Committee."

3. Amendment of rule 22.- In the Delhi Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules 2001, for rule 22 the following shall be substituted, namely:-

   "22. **Daily** allowance: - Non-Official members of the State Executive Committee shall be paid an allowance of one thousand rupees for each day of the actual meetings of the State Executive Committee."

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

ACHLA SINGH, Director

**शहरी विकास विभाग**

**अधिसूचना**

दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

**फा. सं. 16(243)/यूडी/डब्ल्यू/2010/772.**—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 के खंड (एम) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के आदेश दिनांक 23-8-2011 के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में विधि सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति, पदोन्नति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित, विनियमों को एतद्द्वारा आम सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :—

# दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में विधि सहायक के पद के लिए नियुक्ति एवं पदोन्नति विनियमः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन विनियमों को विधि सहायक दिल्ली जल बोर्ड भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2011 कहा जाए।

2. **प्रयुक्ति** :— ये इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम—1 में उल्लिखित पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादिः**— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यता** :— कोई व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

उपबन्ध है कि यदि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकता है।

5. **नियमित सेवा** :— किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है ग्रेड में सेवा की अवधि या अवधियां जो कि उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई है तथा इसमें वह अवधि या अवधियां भी सम्मिलित होगी जिसके दौरान अधिकारी ने उस ग्रेड में ड्यूटी पदधारण किया है, लेकिन उसके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थिति के कारण ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं रहा।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

7. **बचावः**– इन विनियमों की किसी बात को सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने वाले आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**"अनुसूची"**

**दिल्ली जल बोर्ड में विधि सहायक के पद के भर्ती विनियम :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **पदनाम** | : | **विधि सहायक** |
| 2. | **पदों की संख्या** | : | * 4 (2011)<br>* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। |
| 3. | **वर्गीकरण** | : | वर्ग "ग" |
| 4. | **वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतनमान** | : | पी बी–1, 5200–20200/–रुपये<br>(जीपी 2800/रुपये) |
| 5. | **क्या चयन पद है या गैर चयन पद** | : | लागू नहीं |
| 6. | **सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा** | : | 18–27 वर्ष<br><br>केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विर्निदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी व दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हेतु शिथिलनीय। |
| 7. | **सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यताएँ** | : | 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक अथवा समकक्ष।<br>2. विधि व्यवसायी कार्य का दो वर्ष का अनुभव अथवा किसी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी/सवैंधानिक संगठन में विधि कार्य में दो वर्ष का अनुभव। |
| 8. | **क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।** | : | नहीं |
| 9 | **परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो** | : | सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष |
| 10. | **भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति/संविलय द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत** | : | (1) 50प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br><br>(2) 50प्रतिशत, कॉलम 11 में दर्शाये वर्ग में विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा विधि, स्नातकों की सीमित द्वारा चयन से, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। |
| 11. | **यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /** | : | दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत वर्ग 'ग' श्रेणी, पे बैंड–1 5200–20200/–रुपये+ग्रेड पे 2400/–रुपये तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले और पे |

3617 DG/12-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | विलयन किया जाना है | | बैंड–1, 5200–20200+ग्रेड पे 1900/–रुपये वेतनमान में नियमित सेवा वाले कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य है। |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है? | : | वर्ग 'ग'– स्थायीकरण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति<br><br>1. निदेशक प्रशासनिक व कार्मिक–अध्यक्ष<br>2. सहायक आयुक्त (जल)– सदस्य<br>3. विधि अधिकारी (जल), सदस्य |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | : | लागू नहीं |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एस. राठौर, विशेष सचिव (जल)

**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st September, 2012

**F. No. 16(243)/UD/W/2010/772.**—The following Recruitment and Promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) of Section 109 read with Section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998), *vide* Chief Executive Officer orders dated the 23rd August, 2011 regarding the method of Recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Legal Assistant in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely :—

**RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF LEGAL ASSISTANT IN DELHI JAL BOARD,DELHI.**

1. Short title and commencement: - These regulations may be called the Recruitment and promotion Regulation for the post of Legal Assistant, Delhi Jal Board, 2012.

2. Application :- They shall apply to the post specified in column No. 1 of the schedule hereto annexed.

3. Number of posts, classification and scale of pay:- The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications: - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5 Disqualifications: - No person,

( a) Who has entered or contracted a marriage with person having a spouse living ; or

( b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:-

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Regular service :- " Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

7. Power to Relax :- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving :- Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

### Recruitment Rules for the Post of Legal Assistant in Delhi Jal Board

| Name of the post | No.of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or Non selection post | Age limit for direct Recruits | Educational Qualifications required for Direct Recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for Direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any | Method of rectt. Whether by direct recruits or by promotion /deputation/ Absorption & % of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ Deputation/ Absorption Grades from which promotion/ Absorption is to be made | If DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Legal Assistant | 4 (2011 subject to variation depend on work load) | Category 'C' | PB-I Rs.5200-20200 with G.P of Rs.2800 | Not applicable | 18 to 27 yrs (Relaxable to Govt. servants and employee of Delhi Jal Board in accordance with the instructions/orders issued by the Central Govt from time to time) | 1. Degree in Law from a Recognized University or equivalent<br>2. Two years' experience as Legal Practitioner or Two years experience of legal work in Govt.deptt./Semi Govt/Autonomous/ Statutory Organization | Not applicable | 2 years for Direct recruits | 1).50% by direct recruits<br>2). 50% by Selection through limited departmental competitive examination of Law Graduates of the categories shown in Col No.11 failing which by direct recruitment. | The Category C employees working in Delhi Jal Board with 3 years regular service in the Grade of PB I Rs.5200-20200 with G.P. Rs. 2400/- and in the Grade of PB-I Rs.5200-20200 + G.P of Rs.1900 on regular service are eligible to participate in the limited departmental competitive examination to be held by the Delhi Jal Board. | Category "C" DPC (for confirmation)<br>1.Director (A&P) –Chairman<br>2.AC(W)- Member<br>3.I.O(W)- Member | Not Applicable |

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

S. S. RATHOR, Spl. Secy. (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.